

स्ट्रेट

(नियम 26)

CHH-1

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

स्थान बनेड़ा मुकाम बनेड़ा
 कलावती बनाम लक्ष्मीलदास बनेड़ा
 प्राठ पत्र नं. 35 सन् 2010


नम्बर
 अहक
 हुक्म
 में

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज

नम्बर व तारीख
 अहकाम जो इस
 हुक्म की तामील
 में जारी हुए

जो कि न्यायालय की दृष्टि से वेद वेदजनक है।
 प्रकरण में फाईनाल पैराग्राफ पर आवश्यक रूप से
 वक्त 01.04.11 काबल टाई हुनी जावेगी। पत्रावली
 वापस वक्त 01.04.11 हेतु दि० 12-11-10 को पेश
 हो।

12-11-10 - पत्रावली आज राजस्व लोक अकाउंट
 केम्प मुख्यालय बनेड़ा में पेश हुयी उभयपक्ष
 परस्परान्त वक्त केम्प उपस्थित। प्रकरण में दि०
 22-6-2010 को T I आदेश विग्रह विपरीत जारी
 करते हुए, रेकार्ड एक मॉडर्न की तथा स्थिति कताये
 रखने काबल अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी
 की गई थी। पत्रावली का मेरिट पर अवलोकन
 किया गया। न्यायालय के अभिमत में दि० 22-6-10
 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा Confirme कीये
 जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते हैं। मूल कांड के
 साथ संलग्न करते हुए, पत्रावली नम्बर से
 काम की जाकर फाईल शुमार हो।


 कलावती

